निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 19 **वर्ष** 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, सिंचाईं खण्ड, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता, सिंचाईं खण्ड, नैनीताल के माह अक्टूबर 2015 से अप्रैल 2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मनोज कुमार नेगी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अंकित पाण्डे, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15-05-2017 से 25-05-2017 तक श्री वी. एस. पँवार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा सर्व श्री आर. एन. यादव, भानु प्रताप सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं दीपेश कुमार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26-10-2015 से 03-11-2015 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह नवम्बर 2014 से सितम्बर 2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में अक्टूबर 2015 से अप्रैल 2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

क्रियाकलापः-

राज्य योजना, जिला योजना, नाबार्ड, एआईबीपी एवं निक्षेप के अंतर्गत कार्य।

भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

भीमताल, रामगढ़, बेतालघाट एवं कोटाबाग विकास खंड के अंतर्गत सिंचाईं से संबन्धित कार्य।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

₹ लाख में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	0.00	0.00	328.67	328.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	1183.768	1183.768	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	0.00	0.00	1186.17	1186.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18 (माह अप्रैल 2017 तक)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	4700-05-800-01-95-24	0.00	56.00			
2016-17	NIL					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सैक्टर, केंद्र सैक्टर के अंतर्गत किया जाता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

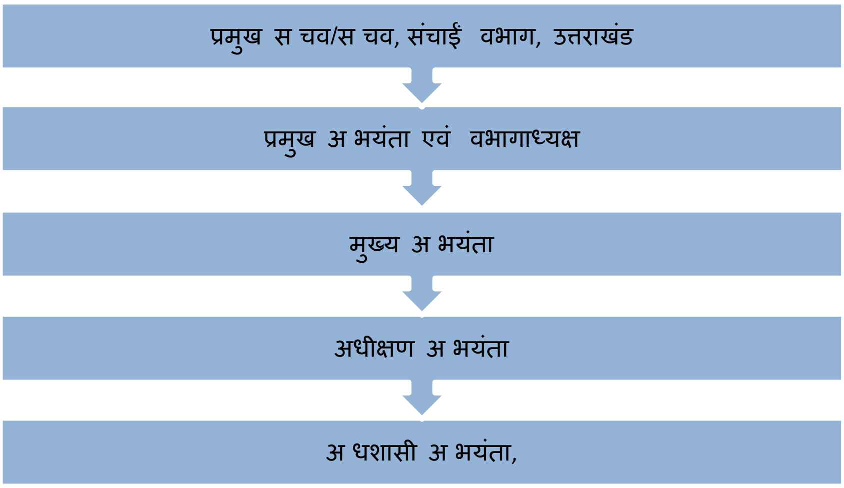

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं शर्तों के अधीन धारा-13 के अंतर्गत कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल के माह 10/2015 से 04/2017 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2016 एवं मार्च 2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। कोटाबाग विकास खंड मे तहसील कालाढुंगी में निहाल नदी से धापला की बाढ़ सुरक्षा योजना का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक किए गए व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971

(डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा खंड का विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2016 तथा 09/2016 तक की गई।

5. फार्म 51: माह मार्च 2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ₹ (-) 826312.10

भाग द्वितीय ₹ 852252.71

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह अप्रैल 2017 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण अग्रिम	₹ 2474400.67
(ख)	सामग्री क्रय	₹ 91933.00
(ग)	नगद परिशोधन	₹ 296560.72
(घ)	निक्षेप	₹ 5071440.92
(ङ)	भण्डार	₹ (-) 4997283.55

□□□□

प्रस्तर-1: रू**0 17.65** लाख की अदावित धनराशि को व्यपगत निक्षेप में जमा न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर 622 (III) में निहित प्रावधान के अनुसार तीन पूर्ण लेखा वर्ष से अधिक समयावधि की अदावित धनराशि को व्यपगत निक्षेप के रूप में डाल दी जानी चाहिए।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाईं खण्ड, नैनीताल के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2017) में पाया गया कि निक्षेप पंजिका के भाग-2 में □ 1776575.17 की धनराशि विगत 3 वर्षों से अधिक की अवधि की ठेकेदारों की जमानत जमा की अदावित धनराशि के रूप मे निक्षेप पंजिका मे अवशेष पड़ी थी, जिसका दावा ठेकेदारों द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (मई 2017) तक नहीं किया गया था। वित्तीय हस्त पुस्तिका में निहित प्रावधान के अनुसार उक्त धनराशि व्यपगत निक्षेप के रूप में डाली जानी चाहिए थी।

उपरोक्त के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर दिया गया कि जांच की जा रही है, जांच उपरांत वापसी की धनराशि के उपरांत शेष धनराशि पर आवश्यक कार्यवाही कर अगली संप्रेक्षा को दिखा दिया जाएगा।

खण्ड का उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि खण्ड द्वारा वित्तीय नियमानुसार रू0 17.65 लाख की अदावित धनराशि को व्यपगत निक्षेप के रूप में शासकीय राजस्व खाते में जमा नहीं कराया गया था।

अतः रू0 17.65 लाख की अदावित धनराशि को व्यपगत निक्षेप में जमा न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:2 विभागीय अदूरदर्शिता के कारण 900 **Hectare** कृषि भूमि का असिंचित रहना।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाईं खण्ड, नैनीताल के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2017) में पाया गया कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल, बेतालघाट, रामगढ़ एवं कोटबाग पर्वतीय मे कुल 134 नहरों मे से 39 नहरों से निम्न विवरणानुसार उनकी सिंचन क्षमता से कम सींच प्राप्त हो रही थी।

(सिंचन क्षमता है0 मे)

क्रम संख्या	विकासखण्ड का नाम	नहर का नाम	सींच का निर्धारित लक्ष्य /CCA in Hect.	वर्ष 2016–17 में प्राप्त वास्तविक सींच	प्रतिशत सिंचन क्षमता
1.	भीमताल	नलेना	15	**7**	46.67
2.	भीमताल	ज्योली	53	**21**	39.62
3.	भीमताल	सुअरखोड़ अपर लोअर	20	**12**	60.00
4.	भीमताल	अलचौना	71	**26**	36.62
5.	भीमताल	सलड़ी अपर	10	**8**	80.00
6.	भीमताल	नौलधारा	14	**4**	28.57
7.	भीमताल	सिलौटी माईनर	20	**4**	20.00
8.	भीमताल	भक्त्यूड़ा	8	**0**	0.00
9.	भीमताल	गेठिया	20	**0**	0.00
10.	भीमताल	चोड़िया	6	**1**	16.67
11.	भीमताल	सलड़ी लोअर	18	**5**	27.78
12.	भीमताल	भूड़िया नहर	20	**6**	30.00
13.	भीमताल	सरना नहर	40	**8**	20.00
14.	भीमताल	सलियाकोट टैंक	16	**3**	18.75
15.	रामगढ़	थ्सरमोली	57	**20**	35.09
16.	रामगढ़	सूपी	6	**1**	16.67
17.	रामगढ़	सूपी टेंक	6	**1**	16.67
18.	बेतालघाट	पाडली	18	**6**	33.33
19.	बेतालघाट	धनियाकोट	41	**21**	51.22
20.	बेतालघाट	खैराली	13	**7**	53.85
21.	बेतालघाट	मल्ली सेठी	50	**41**	82.00
22.	बेतालघाट	धारीकोट	19	**13**	68.42
23.	बेतालघाट	सेठी भण्डार	19	**10**	52.63
24.	बेतालघाट	चॉदपुर	28	**11**	39.29

25.	बेतालघाट	बुंगाखैराली	45	**23**	51.11
26.	बेतालघाट	गरमपानी गूल	5	**0**	0.00
27.	बेतालघाट	जतना सेरा गूल	12	**0**	0.00
28.	बेतालघाट	सिमतया	20	**5**	25.00
29.	बेतालघाट	टोजीकूलो	20	**6**	30.00
30.	बेतालघाट	चापड़	30	**0**	0.00
31.	बेतालघाट	बबास	50	**28**	56.00
32.	बेतालघाट	पहाड़कोट	20	**5**	25.00
33.	बेतालघाट	गजार गूल	21	**0**	0.00
34.	बेतालघाट	ओडाडाडर	51	**0**	0.00
35.	बेतालघाट	हरचनौली हा0	12	**0**	0.00
36.	बेतालघाट	थ्बसगुली	161	**57**	35.40
37.	कोटाबाग पर्वतीय	बांसी नहर	65	**0**	0.00
38.	कोटाबाग पर्वतीय	भटलानी नहर	152	**58**	38.16
39.	कोटाबाग पर्वतीय	स्यात नहर	121	**55**	45.45
	कुल योग		**1373**	473	

उपरोक्त के संदर्भ मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि गर्मियों में जल स्रोतों के सूख जाने एवं कृषि भूमि पर पक्के मकान बन जाने के कारण सिंचन क्षमता के सापेक्ष कम सींच प्राप्त हो रही है।

खंड का उत्तर लेखापरीक्षा मे मान्य नहीं था क्योंकि खंड द्वारा ऐसी नहरों (मझेड़ा नहर, तल्ली सेठी, गैरखाल एवं लद्दास्सी नहर) का पुनरोद्धार से संबन्धित कार्य कराया जा रहा था जिनसे उनकी सिंचन क्षमता से अधिक सींच प्राप्त हो रही थी।

अतः विभागीय अदूरदर्शिता के कारण 900 Hectare कृषि भूमि के असिंचित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	भाग-2 अ	भाग-2 ब
1.	39/1999-2000	1,2	--
2.	15/2001-02	--	1,2
3.	03/2002-2003	1,2	3,4,5
4.	13/2003-04	1,2	3,4
5.	50/2004-05	--	1,2,3,4
6.	97/2005-06	--	1,2(अ), 2(ब),3
7.	24/2009-10	--	1
8.	13/2013-14	--	1
9.	54/2014-15	1	1
10.	74/2015-16	--	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी।				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------शून्य------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री बिजेन्द्र कुमार	अधिशासी अभियंता

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

   (i) श्री सुनील निगम

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून- 248006 को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र-2